



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण 1942 (श10)

(सं0 पटना 930) पटना, सोमवार, 7 दिसम्बर 2020

उद्योग विभाग

vf/kl puk

21 अगस्त 2020

विषय :- राज्य अन्तर्गत निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एवं निर्यातकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति का गठन।

सं0 02/उ0नि0/ITPD-MEA/14-3/2016-1140—राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने एवं राज्य के निर्यातकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

i	विकास आयुक्त	—	अध्यक्ष
ii	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
iii	प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	—	सदस्य
iv	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग	—	सदस्य
v	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग	—	सदस्य
vi	प्रधान सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग	—	सदस्य
vii	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	—	सदस्य
viii	संयुक्त महानिदेशक, DGFT, पटना	—	सदस्य
ix	भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के प्रतिनिधि	—	सदस्य
x	निदेशक, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पटना	—	सदस्य
xi	मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, पटना के प्रतिनिधि	—	सदस्य
xii	निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार, पटना के प्रतिनिधि	—	सदस्य
xiii	उद्योग निदेशक/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय	—	सदस्य सचिव

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 930-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>